

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम, सुपौल

अग्रिम जमानत आवेदन सं०- 281 / 26

किशनपुर थाना काण्ड सं०- 224 / 25

	<p>1. मो० तैयब खॉ उर्फ तैयब, 2. मो० महबुब, 3. बीबी तमसो खातून उर्फ बीबी तमसो, 4. राहत प्रवीण.....आवेदकगण</p> <p style="text-align: center;"><b>बनाम्</b></p> <p>बिहार सरकार.....विपक्षी</p>	
<p>24 / 03 / 26</p>	<p>अभियुक्तगण मो० तैयब खॉ उर्फ मो० तैयब, मो० महबुब, बीबी तमसो खातून उर्फ बीबी तमसो, राहत प्रवीण की ओर से किशनपुर थाना काण्ड सं०- 224 / 25 में अपनी गिरफ्तारी की आशंका दिखाते हुए दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री शाहवाज अंसारी द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी अभियुक्तगण बिल्कुल निर्दोष है तथा उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी अभियुक्तगण की ओर से इस जमानत आवेदन से पूर्व अन्य कोई भी जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा उन्हें ग्रामीण गंदी राजनीति के तहत झूठा फंसाया गया है तथा प्रार्थी अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाया गया आरोप बनावटी व मनगढ़ंत है। उसके विरुद्ध लगाये गये आरोप में धारा 110, 303(2) बी०एन०एस० का आरोप गैरजमानतीय है तथा यह आरोप मुकदमा को गंभीर बनाने के लिए जोड़ा गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। उभय पक्ष के बीच पूर्व से जमीन संबंधी विवाद है। प्रस्तुत वाद का पलटा मुकदमा किशनपुर थाना काण्ड सं० 225 / 25 सूचिका एवं उनके परिवार के अन्य सदस्यों के विरुद्ध दर्ज करवाया गया है। उभय पक्ष के बीच मेल व सुलह हो गया है तथा उभय पक्ष की ओर से राजीनामा आवेदन एवं अनुमति आवेदन दाखिल है। सूचिका न्यायालय में उपस्थित है और मेल की बात को स्वीकार करती है और अभियुक्तगण के जमानत आवेदन पर कोई विरोध नहीं करती है। प्रार्थी अभियुक्तगण सक्षम जमानतदार देने, धारा 482 बी०एन०एस० के प्रावधानों का अनुपालन करने एवं न्यायालय की हर शर्त मानने को तैयार है। अतः विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते हैं।</p> <p>विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री कमल नारायण यादव द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थी अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित नहीं है।</p> <p>प्रस्तुत वाद सूचिका रुबिया खातून के आवेदन के आधार पर धारा 126(2), 115, 110, 303(2), 76, 352, 351(2), 3(5) BNS के अंतर्गत दर्ज किया गया है। सूचिका का संक्षेप में कथन है कि दिनांक 28 / 10 / 25 को करीब 05 बजे शाम में अपने आंगन में खान बनाने का इन्तजाम में बैठी थी कि तभी मो० कासीम, मो० महबुब, मो० तैयब, राहत प्रवीण, बीबी तमसो एकाएक उसके आंगन में आकर गाली गलौज करने लगे। सूचिका के पास उसका भाई हिब्जुर्रहमान बैठा था उसने उनलोगों को गाली देने से मना किया। इतना सुनते ही अभियुक्त मो० कासीम बोला कि मारो साले को जान से मार दो। इसी बात पर मो० महबुब ने अपने हाथ में लिए खंती से सूचिका के भाई पर प्रहार किया जो उनके मुँह पर लगा जिससे उसका बांये तरफ गलफर जख्मी हो गया जिस कारण वह लहुलहान होकर बेहोश हो गया। सूचिका गर्भवती थी। सूचिका के पेट पर अभियुक्ता राहत प्रवीण एवं तमसो ने लात मुक्का एवं लाठी से मारा जिससे सूचिका को प्राईवेट पार्ट से खून आने लगा, वह गिर गयी तथा उसके कान का सोने का बाली तैयब खॉ छीन लिया जिसका कीमत करीब 25000 रू० था।</p> <p>उभय पक्ष को सुना व अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद सूचिका द्वारा प्रार्थी अभियुक्तगण सहित अभियुक्तगण के विरुद्ध सूचिका के साथ गाली गलौज करने एवं उसके के भाई के द्वारा विरोध करने पर उसके साथ मारपीट करने के आरोप में दर्ज कराया गया है। प्राथमिकी से स्पष्ट है कि प्रार्थी अभियुक्त मो० महबुब के विरुद्ध लोहे की खंती से सूचिका के भाई के उपर प्रहार करने का</p>	<p>लगातार....</p>

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम, सुपौल

अग्रिम जमानत आवेदन सं०- 281 / 26

किशनपुर थाना काण्ड सं०- 224 / 25

<p>24 / 03 / 26 लगातार</p>	<p>विशिष्ट आरोप है परंतु काण्ड दैनिकी की कंडिका 20 में वर्णित जख्म प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सूचिका रुबिया खातुन के बदन पर कोई गंभीर जख्म नहीं पाया गया है तथा जख्मी इबजुर रहमान को बांये जबरा पर चोट का निशान पाया गया है। काण्ड दैनिकी की कंडिका 15 में वर्णित पर्यवेक्षण टिप्पणी से स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद का पलटा मुकदमा किशनपुर थाना काण्ड सं० 225 / 25 भी दर्ज कराया गया है। अभिलेख से स्पष्ट है कि उभय पक्ष के बीच मेल हो गया है तथा सूचिका एवं जख्मी न्यायालय में उपस्थित है और मेल की बात को स्वीकार करते हैं और जमानत आवेदन पर कोई विरोध नहीं करते हैं। काण्ड दैनिकी की कंडिका 19 से स्पष्ट है कि प्रार्थी अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।</p> <p>अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में प्रार्थी अभियुक्तगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन <b>स्वीकृत</b> किया जाता है। तदनुसार प्रार्थी अभियुक्तगण मो० तैयब, मो० महबुब, बीबी तमसो खातून उर्फ बीबी तमसो, राहत प्रवीण को यदि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है या वे निम्न न्यायालय के समक्ष इस आदेश की प्राप्ति / प्रस्तुती के 15 दिन के अंदर आत्मसमर्पण करते हैं तो उसे निम्न न्यायालय के संतुष्टिकारक मो० 10,000/- के दो प्रतिभूओं के साथ जमानत बंध-पत्र दाखिल करने पर धारा 482 बी०एन०एस०एस० के प्रावधानों के अधीन अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">लेखापित ह० / - (दिलीप कुमार सिंह) जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम सुपौल</p>	
--------------------------------	--	--